मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 15 फरवरी, 2006 (माघ 26, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामलखन सिंह यादव तथा भूतपूर्व सदस्य विधानसभा श्री अच्युतानन्द मिश्र के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये.

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्य डॉ. सुनीलम्, श्री रामलखन शर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री इन्द्रजीत कुमार तथा श्री आरिफ अकील ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 10.44 बजे 5 मिनिट के लिये स्थगित होकर 10.50 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 33 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने जौरा मुरैना नगर वासियों को दूषित पेयजल मिलने,

(2) श्री बहादुर सिंह, सदस्य ने कृषि कार्य करने हेतु किसानों को महंगा बीज खरीदने,

(3) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य ने जिला छिन्दवाड़ा अंतर्गत संपूर्ण स्वरोजगार योजना मद से मार्गों के कार्य मजदूरों से कराये जाने के बाद भी मजदूरी को भुगतान न दिये जाने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने राजधानी भोपाल गैस राहत अस्पताल में रखी डायलेसिस मशीन खराब होने,

(5) डॉ. आई. एम. पी. वर्मा, सदस्य ने एकीकृत आदिवासी परियोजना क्षेत्र पिपराही विधानसभा क्षेत्र मऊगंज जिला रीवा के ग्रामों में पेयजल संकट होने,

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के कुढीला स्थित जैन मंदिर से मूर्ति चोरी होने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. दिसम्बर, 2005-जनवरी, 2006 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर 2005-जनवरी 2006 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

5. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2005-जनवरी, 2006 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर 2005-जनवरी 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित 7 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैः-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2006)
(अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2006)

(2) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों को भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005
(क्रमांक 23 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2006)

(3) मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005
(क्रमांक 24 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2006)

(4) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005
(क्रमांक 22 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2006)

(5) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005
(क्रमांक 26 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2006)

(6) मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005)
(अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2006)

(7) मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) विधेयक,2006
(क्रमांक 2 सन् 2006) (अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2006)

7. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. सुनीलम्, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री आरिफ अकील, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में बी.टी. कपास बीज के अनुत्पादन से कृषकों को आर्थिक हानि होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी एवं डॉ. सुनीलम्, सदस्य के नेतृत्व मेंसमाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रदेश के अनेक जिलों में बी.टी. कपास बीज के अनुत्पादन से कृषकों को आर्थिक हानि होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के जबाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रदेश के अनेक जिलों में बी.टी.कपास बीज के अनुत्पादन से कृषकों को आर्थिक हानि होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में पाला से फसलें नष्ट होने से पीड़ित कृषकों को आर्थिक सहायता न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 144 बुधनी से निर्वाचित सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह ने विधानसभा के अपने स्थान से त्याग पत्र दिया है, जिसे उनके द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2006 को स्वीकृत कर लिया गया है।

9. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमा वली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन, मैं, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) श्री ज्ञान सिंह
(3) श्री इन्द्रजीत कुमार
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री कृष्णकुमार सिंह (भंवर सहाब)
(6) श्री लाल सिंह आर्य

12.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 फरवरी, 2006 (माघ 27, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.